उत्तराखण्ड शासन
वित्त(वे0आ0–सा0नि0) अनुभाग–7
संख्या–221/XXVII(7)02/2016
देहरादूनः दिनांक 24 सितम्बर, 2021

कार्यालय–ज्ञाप

विषयः छठवें केन्द्रीय वेतनमान में वेतन आहरित कर रहे राज्य सरकार और स्वायत्त निकायों/उपक्रमों के कर्मचारियों के लिए मंहगाई भत्ते का 01 जुलाई, 2021 से बढ़ी हुई दर पर भुगतान।

वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–381/XXVII(7)02/2016 दिनांक 05 नवम्बर, 2019 द्वारा राज्य सरकार और स्वायत्तशासी निकायों/उपक्रमों के उन कर्मचारियों के लिए जिन्होंने छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित वेतनमानों में बने रहने का विकल्प चुना है अथवा जिनके वेतन और भत्ते भिन्न–भिन्न कारणों से सातवें पुनरीक्षित वेतनमानों में संशोधित नहीं किए गए है, के सम्बन्ध में दिनांक 01–07–2019 से उन्हें अनुमन्य मूल वेतन का 164% की दर से महंगाई भत्ता स्वीकृत किया गया है।

2. भारत सरकार के पत्र संख्या–1/3/ 2018–ई.II(बी)दिनांक 13 अगस्त, 2021 के क्रम में राज्य सरकार और राज्य स्वायत्त निकायों/उपक्रमों के उन कर्मचारियों को, जो छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार वेतन बैंड/ग्रेड वेतन में अपने वेतन एवं भत्ते आहरित कर रहे हैं अथवा जिनका वेतन अभी सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों के क्रम में पुनरीक्षित नहीं किया गया है, को उन्हें स्वीकार्य मंहगाई भत्ते की मौजूदा दर 164% को दिनांक 01–07–2021 से बढ़ाकर 189% प्रतिमाह किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3. दिनांक 01 जनवरी, 2020 से दिनांक 30 जून, 2021 तक की अवधि में मंहगाई भत्ते की दर मूल वेतन का 164% ही रहेगी।

4. यह आदेश मा0 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों, स्थानीय निकायों तथा सार्वजनिक उपक्रम आदि के कार्मिकों पर स्वतः लागू नहीं होंगे, उनके सम्बन्ध में सम्बन्धित विभागों द्वारा पृथक से आदेश निर्गत किया जाना अपेक्षित होगा।

5. यह आदेश विद्यालयी शिक्षा/प्राविधिक शिक्षा विभाग के अधीन राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के ऐसे शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर कार्मिकों, जिन्हें शासकीय कार्मिकों के समान छठवां वेतनमान अनुमन्य है, पर भी लागू होंगे।

6. मंहगाई भत्ता स्वीकृत करने के सम्बन्ध में अन्य शर्तें एवं प्रतिबन्ध जो इससे पूर्व निर्गत शासनादेशों में निर्धारित किये गये हैं, यथावत् लागू रहेंगे।

7. उक्त कार्मिकों को पुनरीक्षित मंहगाई भत्ता दिनांक 01 जुलाई, 2021 से 31 अगस्त, 2021 तक का अवशेष मंहगाई भत्ता एरियर के रूप में नकद भुगतान किया जायेगा। दिनांक 01–09–2021 से मंहगाई भत्ते का भुगतान नियमित रूप से वेतन के साथ किया जायेगा। परन्तु अंशदायी पेंशन योजना से आच्छादित कार्मिकों के पेंशन अंशदान तथा उतनी ही धनराशि नियोक्ता के अंश के साथ नई पेंशन योजना से सम्बन्धित खाते में जमा की जायेगी तथा शेष धनराशि नगद भुगतान की जायेगी।

(मनीषा पंवार)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या– 221 (1)/xxvii(7)02/2016, तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. समस्त अपर मुख्य सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
4. सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. प्रमुख सचिव/सचिव, शहरी विकास विभाग/सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो, उत्तराखण्ड शासन को इस आशय से प्रेषित कि निकाय/उपक्रम की वित्तीय स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए अपने अधीनस्थ निकाय/उपक्रम के कार्मिकों को महंगाई भत्ता अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध में यथाप्रक्रिया स्वयं निर्णय लेने का कष्ट करें। इस सम्बन्ध में वित्त विभाग की सहमति की आवश्यकता नहीं होगी।
6. महानिबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड।
7. मुख्य स्थानिक आयुक्त, उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
8. क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, कानपुर/देहरादून।
9. मण्डलायुक्त, गढ़वाल/कुमायूं मण्डल।
10. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
11. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
12. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाएँ, उत्तराखण्ड, देहरादून।
13. निदेशक, विभागीय लेखा, 23 लक्ष्मी रोड़, डालनवाला, देहरादून।
14. निदेशक, आडिट, उत्तराखण्ड।
15. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
16. निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड, देहरादून।
17. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(गंगा प्रसाद)
अपर सचिव।